न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

आसीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 001/2007

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1 सत्यपाल
2 रिछपाल
3 जसवन्त
4 रजवन्त
} पिसरान श्री परसराम उर्फ इन्द्र सिंह जाति शर्मा (तरखान) निवासी 5–ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5 कान्ता पुत्री परसराम उर्फ इन्द्र सिंह जाति शर्मा (तरखान) निवासी 5–ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
2 हरमीत सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह अकवाम जट सिखान निवासी 5–ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3 रणजीत सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह अकवाम जट सिखान निवासी 5–ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4 उपिन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जट सिख साकिन 41 आर.बी., तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5 सरजीत कौर पत्नि श्री हरदयाल सिंह जाति जट सिख साकिन 3 एफ छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6 अमरजीत कौर पत्नि श्री जगराज सिंह जाति जट सिख निवासी 3–एफ छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7 गुरचरण सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
8 हरभजन कौर बेवा गुरबचन सिंह
9 कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह
10 कमलजीत सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह ।
} अकवाम मजहबी सिख निवासीयान 5–ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्त अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री दिनेष छाबड़ा अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

दिनांक :– 21.01.2019

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं शाश्वत व्यादेश हेतू इस न्यायालय में इन आधारों पर प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता परसराम उर्फ इन्द्र सिंह का देहान्त दिनांक 20.11.1994 को हो चुका है जो कि मृत्यु तक तरखान का कार्य करते थे। माफी रजिस्टर के अनुसार चक 5 ए छोटी के ग्राम सेवा के लिए वादीगण के पिता इन्द्र सिंह उर्फ परसराम को तरखान का कार्य करने हेतू किला नम्बर 1 से 5 तक 5 बीघा, संगारा सिंह ग्रन्थी को किला नम्बर 6 ता 10 तक 5 बीघा, मंगतराम को नाई का कार्य करने हेतू किला नम्बर 11 से 17 तक 7 बीघा एवं ज्ञान सिंह कोटवाल को किला नम्बर 18 से 25 तक 7.18 बीघा भूमि नहरी

लगातार .....

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

तौर माफी दी गयी। माफीदार दिनांक 09.05.1949 को राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत की यी। उक्त का इन्तकाल दिनांक 15.10.1949 को स्वीकृत किया गया एवं कब्जा दिनांक 9.05.1949 को ही माफी नियुक्ति के समय दिया जा चुका था। प्रतिवादी संख्या 2 वा 3 ने पनी खातेदारी भूमि वाके चक 5 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 8 की 25 बीघा का तबादला चक 5 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 की 24.18 बीघा से कमिश्नर, बीकानेर के आदेश क्रमांक 40 दिनांक 06.01.1956 से हुक्मन प्राप्त कर पटवारी हल्का से इंतकाल संख्या 8/1 दर्ज करवाकर दिनांक 23.03.1956 को स्वीकृत करवा लिया जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 4 प्रीतम कौर वगैरा के नाम दर्ज किया गया एवं मुरब्बा नम्बर 8 राज दौलत भण्डार दर्ज किया गया एवं माफीदारान को एक साला अलॉटी दर्ज किया गया। कमिश्नर, बीकानेर का आदेश नम्बर 40 दिनांक 06.01.1956 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 से 52 के खिलाफ होने के कारण प्रारम्भ से शून्य एवं विधि विपरीत है एवं ऐसे आदेश से तबादला नहीं माना जा सकता है। चक 5 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 से 5 की 5 बीघा भूमि पर वादीगण का पिता माफीदार की हैसियत से काश्तकार था, इत्यादि इत्यादि तथ्य अंकित करते हुए वादीगण ने अनुतोष के रूप में चक 5 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 5 बीघा का खातेदार घोषित करने का एवं विकल्प में मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5 बीघा का खातेदार घोषित कर जमाबन्दी में प्रतिवादी का नाम हटाने, विभाजन करने एवं मुरब्बा नम्बर 4 व 8 की किला नम्बर 1 से 5 बीघा भूमि को अन्य किसी को रहन, बैय नहीं करने की निषेधाज्ञा चाही गयी।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 वा 3 के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के द्वारा जरिए अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं जवाबदावा में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार करते हुए कथन किया कि वाद सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को हासिल नहीं है क्योंकि दिनांक 06.01.1956 का आदेश अन्तिम हो चुका है जिसे कहीं भी चुनौती नहीं दी गयी। भूमि के आगे से आगे बेचान जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामा से, हिब्बानामा से होकर पंजीकृत हो चुके है जिस कारण इस न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं रहा है, इत्यादि इत्यादि तथ्य अंकित करते हुए वाद निरस्त करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात न्यायालय द्वारा कायम की गयी :–

1. आया वादीगण के पिता परसराम उर्फ इन्द्र सिंह का व्यवसाय तरखान था एवं अपनी मृत्यु तक परसराम उर्फ इन्द्र सिंह तरखान का कार्य करता रहा ?
2. आया वादीगण के पिता मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 5 के बतौर ग्राम सेवा तरखान का कार्य करने के कारण माफीदार रहे एवं उनका कब्जा उक्त किलाजात पर सन् 1956 के बाद रहा ?
3. आया कमिश्नर बीकानेर का आदेश नम्बर 40 दिनांक 06.01.1956, जिसके द्वारा चक 5ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की मुरब्बा नम्बर 8 का तबादला मुरब्बा नम्बर 4 से किया गया है, धारा 48 से 52 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है एवं इस आदेश को वादीगण जरिए वाद चुनौती देने के अधिकारी है ?

लगातार .....

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तादाद कागजात

4. आया वादीगण तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 5 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 5 की 5 बीघा भूमि पर वाद में दर्ज तथ्यों के आधार पर खातेदार अधिकारों की घोषणा करवा पाने, विभाजन करवा पाने एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के खिलाफ अन्यत्र मुन्तकिल ना करने की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?
5. आया आदेश दिनांक 06.01.1956 अन्तिम हो जाने के कारण एवं आगे बेचान जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामा, हिब्बानामा से हो जाने के कारण वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है तथा आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है ?
6. आया जवाबदावा की मद संख्या 18 में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद निरस्त किये जाने योग्य है ?
7. आया वाद बाहर मियाद प्रस्तुत किया गया है ?
8. आया वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतूक हासिल नहीं है ?
9. आया वाद वादीगण आवश्यक पक्षकारों का अभाव होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ?
10. अनुतोष

पत्रावली दिनांक 12.03.2018 को तनकीयात कायम करने के उपरान्त साक्ष्य वादी हेतू आयन्दा पेशी 19.04.2018 में नियत की गयी एवं इसके उपरान्त वादीगण को समुचित अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू प्रदान किये जाने के बावजूद वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप वादीगण की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली प्रतिवादीगण की साक्ष्य हेतू नियत की गयी। प्रतिवादीगण के द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर वादीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर बहस सुनी गयी।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि चाहे वादीगण की साक्ष्य पत्रावली में नहीं हो पायी है फिर भी न्यायालय को वाद पत्र के अभिवचनों को देखते हुए एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र स्वीकार कर वांछित अनुतोष न्यायहित में प्रदान करना चाहिये जिसके लिए न्यायालय सक्षम हैं।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में विधिक बिन्दुओं पर निवेदन करते हुए कथन किया कि चूंकि वादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं ना हीं किसी प्रलेखीय साक्ष्य को साबित करवाया है इसलिये वादीगण वाद पत्र के कथनों को साबित करने में नाकामयाब रहे है अतः वाद वादीगण अदम साक्ष्य खारिज किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 1963 आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 200 एवं पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.03.2011, जो आर.एस.ए. नम्बर 3379/2010 अनवान देवीराम वगैरा बनाम मोनू वगैरा में माननीय न्यायाधिपति श्रीमति सबीना द्वारा पारित किया गया, की प्रति प्रस्तुत करते हुए वाद अदम साक्ष्य खारिज करने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुतकर्दा न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि तनकीयात कायम होने के उपरान्त वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वादीगण के

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

7 14/15 (50) हरमीतसिं

तादाद कागजात

द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की एवं ना हीं किसी प्रलेखीय साक्ष्य को साबित करवाया। दौराने बहस भी वादीगण के अधिवक्ता ऐसा कोई विधिक प्रावधान अथवा न्यायिक दृष्टान्त हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह ज्ञान होता हो कि साक्ष्य वादी पत्रावली पर नहीं आने के बावजूद न्यायालय वाद में अनुतोष प्रदान कर सकता हो जबकि इसके विपरीत प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.एस.ए. नम्बर 3379/2010 अनवान देवीराम वगैरा बनाम मोनू वगैरा में माननीय न्यायाधिपति श्रीमति सबीना द्वारा दिनांक 07.03.2011 को पारित निर्णय में दी गयी व्यवस्था अनुसार वादी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत ना करने एवं साक्ष्य बन्द होने के उपरान्त न्यायालय के पास वाद निरस्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहता है, प्रकरण हाजा पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इसी अनुसार प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1963 आर.आर.डी पृष्ठ संख्या 200 भी प्रकरण हाजा पर लागू होता है जिसमें माननीय राजस्व मंडल, अजमेर की खण्ड पीठ द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि बिना प्रदर्श लगे दस्तावेजात को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में बिना कायम तनकीयात पर कोई विवेचन किये हम वाद वादीगण निरस्त करना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर